राजस्थान आवासन मण्डल :: जयपुर

राजस्थान आवासन मण्डल की 227वीं बैठक दिनांक 28.09.2015 को माननीय अध्यक्ष महोदय की अध्यक्षता में मुख्यालय स्थित मण्डल कक्ष में सम्पन्न हुयी। बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

1.	श्री अशोक जैन	अध्यक्ष, राजस्थान आवासन मण्डल	अध्यक्ष
2.	श्री अशोक जैन	अतिरिक्त मुख्य सचिव, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राजस्थान सरकार	सदस्य
3.	श्री ओ॰पी॰ सैनी	आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य
4.	श्री शंकर लाल कुमावत	सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल	सदस्य–सचिव

श्री सिद्धार्थ महाजन, शासन सचिव, वित्त–प्रथम (व्यय) एवं श्री प्रवीण जैन, मुख्य नगर नियोजक द्वारा कारणवश मण्डल की बैठक में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गयी, जिसकी अनुमति प्रदान की गयी।

<u>बैठक में निम्न मण्डल अधिकारी भी उपस्थित रहे</u> :–

1.	श्री आर॰के॰ अग्रवाल	मुख्य अभियन्ता–मुख्यालय
2.	श्री के॰सी॰ मीणा	मुख्य अभियन्ता–प्रथम
3.	श्री घनश्याम बाघेला	मुख्य अभियन्ता–द्वितीय
4.	श्री नरेन्द्र धुन्ना	वित्तीय सलाहकार एवं मुख्य लेखाधिकारी
5.	श्री राधे प्रताप सिंह	उप सचिव
6.	श्री अनिल कुमार कौशिक	सम्पदा प्रबन्धक (भूमि)
7.	श्री वृन्दावन बिहारी माथुर	वरिष्ठ कार्मिक प्रबन्धक
8.	श्री अरुण जोशी	सहायक निदेशक (जनसम्पर्क)

–:: कार्यवाही विवरण ::–

विचार बिन्दु संख्या	विचार बिन्दु	निर्णय	कार्यवाही द्वारा
227.1	दिनांक 24.04.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 226वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि।	226वीं बैठक के निर्णयों की पुष्टि की गयी।	Secretary
227.2	दिनांक 24.04.2015 को सम्पन्न हुई मण्डल की 226वीं बैठक के निर्णयों का क्रियान्विति प्रतिवेदन अवलोकनार्थ।	226वीं बैठक के क्रियान्विति प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया।	Secretary

227.3	सेक्टर 11, "व्यास अपार्टमेन्ट" प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में निर्माणधीन मध्यम आय वर्ग "ब" (B+S+10) के 80 फ्लेट्स के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1953.26 लाख के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्देशित किया कि भविष्य में इस प्रकार के प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मण्डल द्वारा जारी पंजीकरण पुस्तिका में अंकित प्रति आवास की लागत, उक्त वर्णित लागत में हो रही अभिवृद्धि एवं वर्तमान लागत का भी उल्लेख किया जाकर प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावे।	CE-I (ACE-I)
227.4	सेक्टर 11, "व्यास अपार्टमेन्ट" प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर में निर्माणधीन मध्यम आय वर्ग "ब" (B+S+10) के 80 फ्लेट्स जोन–।। के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1971.20 लाख के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I (ACE-I)
227.5	स्व वित्त पोषित योजनान्तर्गत आवासों/ फ्लेटों की पंजीकरण पुस्तिका में दर्शित अनुमानित लागत एवं वास्तविक लागत में वृहद अन्तर की स्थिति में संशोधित आरक्षण पत्र जारी करने एवं ब्याज देने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि मण्डल द्वारा भविष्य में जारी की जाने वाली पंजीकरण पुस्तिकाओं में पूर्ण विवरण सहित उल्लेखित किया जावे कि आवास की लागत में 10 प्रतिशत से अधिक की वृद्धि होने की स्थिति में पुस्तिका में वर्णित नियमानुसार आवेदक को जमा राशि वापिस लेने का प्रावधान होगा।	FA
227.6	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 193/CS-02 प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की निरस्ती व जमा राशि जब्ती की सहमति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
227.7	द्वारका पथ, मानसरोवर, जयपुर में निर्माणधीन मध्यम आय वर्ग–ब (एस+9) के 72 फ्लेट्स जोन–II के निर्माण कार्य की संचालक मण्डल से स्वीकृति की प्रत्याशा में जारी संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति राशि रुपये 1319.818 लाख की कार्योत्तर स्वीकृति के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA

227.8	स्व. श्री दीपक पुरोहित, तत्कालीन कनिष्ठ सहायक, खण्ड–प्रथम, जोधपुर के ईलाज पर व्यय की गयी चिकित्सा राशि के पुनर्भरण के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
227.9	मण्डल में प्रचलित लागत सिद्धान्तों में संशोधन बाबत्।	प्रस्ताव का अनुमोदन निम्नांकित संशोधन के साथ किया गया :– कॉर्नर प्लॉट को नीलामी के माध्यम से बेचान किया जावेगा तथा कॉर्नर हाऊस पर अतिरिक्त 10 प्रतिशत राशि लिये जाने का निर्णय लिया गया।	FA
227.10	मण्डल की सम्पत्ति आवंटन समिति की बैठक दिनांक 17.06.2015 को सम्पन्न हुई, को आगामी बोर्ड बैठक में पुष्टि/अनुमोदनार्थ के संबंध में।	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गयी।	EM (HQ)
227.11	विवेक विहार आवासीय योजना, जोधपुर में अल्प आय वर्ग के 144 फ्लेट्स (जी+3) के निर्माण की संशोधित प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-II
227.12	"Strengthening/Rehabilitaion,Improvement of Junction/ Circle of Haldi Ghati Marg & Construction/ Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg, Zone-II (From Panna Dhai Circle to the Maharana Pratap Circle), Pratap Nagar, Jaipur" के कार्य हेतु संचालक मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य विभाजन के कार्योत्तर के अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही निर्देशित किया गया कि भविष्य में कार्योत्तर अनुमोदन संबंधित प्रस्तावों के साथ कार्य सम्पादन हेतु ली गयी सक्षम स्वीकृति की प्रति भी संलग्न की जावे।	CE-I
227.13	"Strengthening/Rehabilitaion,Improvement of Junction/ Circle of Haldi Ghati Marg & Construction/ Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg, Zone-I (From Maharana Pratap Circle to the junction of Mahal Road), Pratap Nagar, Jaipur" के कार्य हेतु संचालक मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य विभाजन के कार्योत्तर अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I

227.14	"Strengthening/Rehabilitaion,Improvement of Junction/ Circle of Haldi Ghati Marg & Construction/Strengthening of service lane of Haldi Ghati Marg, Zone-III (From Haldi Ghati Gate to the Panna Dhai Circle), Pratap Nagar, Jaipur" के कार्य हेतु संचालक मण्डल बैठक की प्रत्याशा में जारी प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति एवं कार्य विभाजन के कार्योत्तर अनुमोदन बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	CE-I
227.15	व्यावसायिक भूखण्ड संख्या 170/CS-2/14, प्रताप नगर, सांगानेर, जयपुर की राशि जमा कराने की सहमति बाबत्।	प्रस्तावानुसार स्वीकृति प्रदान की गयी।	DHC Cir-I Jaipur
227.16	मानसरोवर योजना, जयपुर में वी.टी. रोड स्थित कामर्शियल बेल्ट "बी" पर पीपीपी मॉडल के अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रीय कन्वेन्शन सेन्टर विकसित किये जाने के संबंध में।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। साथ ही एमओयू में निम्नानुसार शर्त उल्लेखित किये जाने का निर्णय लिया :– संस्था द्वारा समस्त निर्माण कार्यो की प्रगति समान रुप से की जावे। होटल का संचालन कन्वेंशन सेन्टर एवं अन्य सम्पूर्ण निर्माण कार्यों के पूर्ण हो जाने के उपरान्त ही किया जा सकेगा।	CE-I
227.17	मण्डल में कार्यरत अधिकारियो/कर्मचारियों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण करने हेतु वर्तमान व्यवस्था व संशोधन करने बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया। एतद्संबंधी आदेश प्रसारित किये जाने से पूर्व मण्डल में प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित राजसेवकों के वार्षिक कार्य मूल्यांकन प्रतिवेदन पूर्ण करने संबंधी व्यवस्था का अनुमोदन माननीय अध्यक्ष महोदय से प्राप्त कर अलग–अलग आदेश प्रसारित किये जावे।	Dy. Secy.
227.18	राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी भर्ती एवं पदोन्नति विनियम–2010 में पदोन्नति हेतु निर्धारित अनुभव में नियमानुसार 1/3 अवधि की छूट प्रदान करने हेतु परिचलन से पारित प्रस्ताव संख्या 235/2015 की पुष्टि बाबत्।	प्रस्तावानुसार पुष्टि की गयी।	Secretary

अन्य प्रस्ताव माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से :-

227.19	उप वित्तीय सलाहकार को चैकों पर हस्ताक्षर अधिकार देने एवं पूर्व प्रसारित आदेश Sr.AO(P)/2015-16/128 दिनांक 08.05.2015 में प्रस्तावानुसार संशोधन की स्वीकृति बाबत्।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	FA
227.20	राजस्थान आवासन मण्डल अधिनियम-1970 की धारा-27 के अन्तर्गत प्रस्तावित कार्यवाही का संचालक मण्डल द्वारा अनुमोदन।	प्रस्तावानुसार अनुमोदन किया गया।	EM (LAND)
227.21	Tender for sewerage scheme at RHB Cololny, Near DTO office Hanumangarh.	एकल बिड प्राप्त होने, अंकित दरों के अधिक होने तथा प्रतिस्पर्धात्मक दरे नहीं होने के कारण बिड निरस्त करने का निर्णय लिया गया।	CE-I

अन्त में बैठक सधन्यवाद समाप्त हुई।

(शंकर लाल कुमावत)
सचिव